संख्या-106/2018/1827/02(बजट)/2018

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ दिनांक, 26 मई, 2018**

विषयः-जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना एवं उसमें प्रयुक्त विशिष्ट प्रकृति के कार्य एवं उच्च विशिष्टियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

(1) नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण हेतु चयनित भूमि के लिए सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा 2700 वर्ग मीटर की भूमि जो सम्प्रति कुम्भ मेले के लिए उपयोग की जा रही है, को पर्यटन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उक्त के एवज में पर्यटन विभाग द्वारा कुम्भ मेला के प्रयोजन हेतु होटल अलकनन्दा के परिसर में रिक्त भूमि से 2700 वर्ग मीटर की भूमि सिंचाई विभाग को उपलब्ध कराते हुए परियोजना का क्रियान्वयन कियाजायेगा।

(2) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को उच्च श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तावित परियोजना में उच्च विशिष्ट प्रकृति के कार्य यथा-वाल पैनलिंग, फाल्स सीलिंग एवं कार्पेट फ्लोरिंग आदि का कार्य कराया जायेगा।

(3) व्यय वित्त समिति' की संस्तुति के अनुक्रम में प्रस्तावित परियोजना में आई0पी0 कैमरा, ई0पी0ए0बी0एक्स0 सिस्टम एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग कार्य की आवश्यकता, औचित्य, स्पेसिफिकेशन एवं लागत के सम्बन्ध में निम्नवत् समिति गठित की जाती है, जो परियोजना की इन कार्यमदों की आवश्यकता, औचित्य, स्पेसिफिकेशन एवं लागत के सम्बन्ध में परीक्षण कर संतुष्ट हो लेगी तथा समिति इन कार्यों हेतु पी0एफ0ए0डी0 की संस्तुत लागत की सीमा के अन्तर्गत जो न्यूनतम लागत संस्तुत करेगी, उस सीमा तक परियोजना की लागत संशोधित समझी जायेगीः-

1	प्रमुख सचिव पर्यटन	अध्यक्ष
2	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	सदस्य
3	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ	सदस्य
4	परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, यूनिट-2, देहरादून	सदस्य
5	महानिदेशक पर्यटन द्वारा नामित	सदस्य/ सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) जनपद हरिद्वार के होटल अलकनन्दा परिसर में 100 कक्षों के नवीन पर्यटक आवास गृह (होटल) के निर्माण की परियोजना के समयान्तर्गत क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए निम्नवत् एक स्थानीय समिति गठित की जाती है जो उक्त परियोजना की प्रगति का विवरण शासन एवं महानिदेशक, पर्यटन को नियमित रूप से उपलब्ध करायेगी:-

1	महानिदेशक पर्यटन द्वारा नामित उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 से नामित नोडल अधिकारी	सदस्य
2	परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, यूनिट-2, देहरादून	सदस्य
3	परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित वास्तुविद	सदस्य
4	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, मेरठ	सदस्य/सचिव

कृपया उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
प्रमुख सचिव

संख्या-106/2018/1827(1)/41-2018-02(बजट)/2018 तद् दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड।
4- जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
7- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, मेरठ।
9- प्रबन्धक, होटल अलकनन्दा, हरिद्वार।
10- वेब अधिकारी।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in